



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122025-268184
CG-DL-E-03122025-268184

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5372]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 2, 2025/अग्रहायण 11, 1947

No. 5372]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 2, 2025/AGRAHAYANA 11, 1947

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5560(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 6 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (ख) एवं खंड (ड.) और धारा 5 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 5509(अ), तारीख 19 दिसंबर, 2024 जो भारत के राजपत्र, के भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), में तारीख 20 दिसंबर, 2024 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भारत की प्रेस परिषद् में नामनिर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्यों के नामों को अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में,--

(क) व्यक्ति, जिन्हें शिक्षा और विज्ञान, विधि और साहित्य तथा संस्कृति के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो [धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अंतर्गत नामनिर्दिष्ट] से संबंधित शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों से पूर्व निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"समाचारपत्रों के प्रबंध का कारबार करने वाले मालिक/चलाने वाले व्यक्तियों में से सदस्य" [धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

1. श्री सुधीर कुमार पांडा
प्रतिदिन
टीएस 3/193, मंचेश्वर औद्योगिक एस्टेट,
भुवनेश्वर, ओडिशा – 751010

2. श्री एमवी श्रेयम्स कुमार
मातृभूमि
पीटीजी और पीबीजी कंपनी लिमिटेड
केपी केशव मेनन रोड, कोझिकोड
केरल – 673001

3. श्री गुरिंदर सिंह
इंडियन ऑब्जर्वर
26-एफ, कनांट प्लेस
नई दिल्ली – 110001

4. श्री अरुण कुमार त्रिपाठी
जन एक्सप्रेस
82/68, दूसरी मंजिल, अयूब कॉम्प्लेक्स
गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लालकुआं
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

5. सुश्री आरती त्रिपाठी
जय प्रदेश
25/26, गोखले विहार मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226001

6. श्री ब्रज मोहन शर्मा
गुलाबी हलचल
एफ-233, सूर्य पथ, जनपथ
श्याम नगर, जयपुर - 302019

बड़े समाचार पत्रों के प्रबंध का कारबार करने
वाले मालिक/चलाने वाले व्यक्तियों में से सदस्य

मध्यम समाचार पत्रों के प्रबंध का कारबार
करने वाले मालिक/चलाने वाले व्यक्तियों में से
सदस्य

छोटे समाचार पत्रों के प्रबंध का कारबार करने
वाले मालिक/चलाने वाले व्यक्तियों में से
सदस्य";

(ख) "संसद सदस्य [धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (ड.) के अधीन नामनिर्देशित] शीर्षक के अधीन, क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पूर्व, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“ श्री नरेश गणपत म्हस्के,

1. रो हाउस नंबर 21,
इटर्निटी फ्रेंड्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी
लिमिटेड,
एलबीएस मार्ग, ठाणे, महाराष्ट्र – 400604

लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित।”

2. श्री काली चरण मुंडा,
गाँव माहील, पोस्ट ऑफिस माहील, पीएस मुरहू खूटी,
खूटी झारखंड – 835216
3. डॉ. संबित पात्रा,
एचआईजी 348, कलिंग बिहार भुवनेश्वर, ओडिशा –
751019

[फा. सं. एम-22011/13/2024-प्रेस-भाग 1]
डॉ. के.के.निराला, संयुक्त सचिव

टिप्पणः— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 5509 (अ),
तारीख 20 दिसंबर, 2024 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2025

S.O. 5560(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (e) of sub-section (3) and sub-section (5) of section 5 read with sub-section (1) of section 6 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Information and Broadcasting, number S.O. 5509(E), dated 19th December, 2024, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th December, 2024 and notifies the names of the following members nominated to the Press Council of India, from the date of publication of this notification, namely: –

2. In the said notification,—

(a) before the heading relating to **Persons having special knowledge or practical experience in respect of education and science, law and literature and culture [nominated under clause (d) of sub-section (3) of section 5]**, and the entries relating thereto, the following heading and entries thereto shall be inserted, namely:—

“Members from among persons who own/carry on the business of management of newspapers” [nominated under clause (b) of sub-section (3) of section 5]

1. Shri Sudhir Kumar Panda
Pratidin
TS 3/193, Mancheswar Industrial Estate,
Bhubaneswar, Odisha - 751010

2. Shri M.V. Shreyams Kumar
Mathrubhumi
PTG & PBG Co. Ltd.
KP Kesava Menon Road, Kozhikode
Kerela - 673001

3. Shri Gurinder Singh
Indian Observer
26-F, Connaught Place
New Delhi – 110001

Members from among persons who
own/carry on the business of management
of big newspapers

Members from among persons who
own/carry on the business of management
of medium newspapers

4. Shri Arun Kumar Tripathi Jan Express 82/68, 2 nd Floor, Ayub Complex Guru Gobind Singh Marg, Lalkuan Lucknow, UP.	
5. Ms. Arti Tripathi Jai Pradesh 25/26, Gokhle Vihar Marg, Lucknow, UP - 226001	
6. Shri Braj Mohan Sharma Gulabi Halchal F-233, Surya Path, Janpath Shyam Nagar, Jaipur - 302019	Members from among persons who own/carry on the business of management of small newspapers”;

(b) under the heading “Members of Parliament [nominated under clause (e) of sub-section (3) of section 5], before serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: –

“1. Shri Naresh Ganpat Mhaske, Row House No.21, Eternity Friends Cooperative Housing Society Ltd., LBS Marg, Thane, Maharashtra – 400604.	Nominated by the Speaker, House of the People (Lok Sabha).”.
2. Shri Kali Charan Munda, Village Mahil, P O Mahil, P S Murhu Khunti, Khunti Jharkhand – 835216.	
3. Dr. Sambit Patra, HIG 348, Kalinga Bihar Bhubaneshwar, Odisha – 751019.	

[F. No. M-22011/13/2024-Press-Part(1)]

Dr. K.K. NIRALA, Jt. Secy.

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 5509(E), dated the 20th December, 2024.